न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी देशलाराम परिहार , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2025
जीसीएमएस संख्या 2025/31

प्रार्थीगण	**अप्रार्थी**
नेनाराम पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी चितलवाना तहसील चितलवाना	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सारण।
   अप्रार्थी राजपेरोकार नायब तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक – 20/6/25

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि कि प्रार्थी का पैतृक खातेदारी का खेत ग्राम चितलवाना के खसरा संख्या 1560 क्षेत्रफल 1.6000 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1761 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर का आया हुआ था तथा प्रार्थी अपने खेत में वक्त सेटलमेंट से अनवरत कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त खेत वक्त सेटलमेन्ट से एक ही खसरे का हिस्सा था तथा मौके पर भी एक ही खसरा था तथा कब्जा काश्त भी अनवरत एक ही खसरे के रूप 1.8300 हैक्टेयर का अनवरत रूप से कब्जा सेटलमेंट से पूर्व चला आ रहा था तथा उक्त आराजी के उत्तरी पूर्व शोर पर आंशिक रकबा इस खसरे में से रास्ते के रूप में निकल कर सलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट अ में ए से बी जगह पर जहां सेटलमेट से पूर्व से बड़ा रास्ता चलता आ रहा है तथा उक्त रास्ते की जगह राज्य सरकार द्वारा समय समय ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया जो नजरीये नक्शा स्पष्ट रूप ग्रेवल सड़क जिसके दोनो ओर बेड़े बड़े वृक्षों की कतार जो उस रास्ते पर चलने वाले राहीगरों को छाया प्रदान जगीर काल करती आ रही है तथा इसी जगह पर कटाण का रास्ता की तरमीम करते हुऐ प्रार्थी के हिस्से में आंशिक रकबा दर्ज करते हुऐ खसरे कायम करने थे परन्तु सेटलमेंट अधिकारीयों की भूल के कारण उक्त रास्ते की सीमा मौके की भौतिक स्थिति के विपरित दर्ज होते हुऐ प्रार्थी के खेत के दो हिस्से नक्शे में क्रमशः 1560, 1761 के रूप मे होकर बीच में रास्ता 1760 कायम हो गया जबकि मौके पर भौतिक स्थिति मे उक्त खसरा सेटलमेंट से पूर्व से लेकर आज दिन तक कभी भी अस्तित्व में नही रहा साथ ही खसरा संख्या 1759 तरमीम भी ए से बी जगह पर किया जाना था परन्तू उस समय नेहड़ की भूमि को अमीन के समझ से बाहर होने से खसरा संख्या 1759 की तरमीम वर्तमान स्थान पर कर दी गई जो अनुचित व अवैध होने से उसे ए से बी जगह पर दुरस्त किया जाना न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

2. यह है कि उक्त खसरा संख्या 1760 को खसरा संख्या 1761 के उत्तरी कॉरनर दर्ज करते हुऐ उक्त खसरे का रकबा उसी अनुसार दुरस्त कर मुल 1760 की भूमि खसरा संख्या 1761 मे समाहित करते हुऐ उसी अनुसार दुरस्त करने से नजरीये नक्शा में एक्स स्थान पर उक्त खसरा कायम करते हुऐ उसी क्षेत्रफल का दुररत कर तरमीम को दुरस्त किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी उक्त खेत में वर्तमान तरमीम के अनुसार खसरा संख्या 1760 की जगह घर व चारवाड़ा वक्त सेटलमेट से बना हुआ जबकि उक्त रास्ता खसरा संख्या 1761 के उत्तरी कॉरनर के सड़क से निकलते ही मौके पर भौतिक रूप से ग्रेवल सड़क वक्त सेटलमेंट से बन कर दुरस्त होती आ रही है। खसरा संख्या 1760 की भूमि बरंग हरा का रकबा वर्तमान में नजरीये नक्शा में बंरग लाल की जगह सरकारी कटाण दर्ज करते हुऐ उक्त दोनो खसरो के मध्य बरंग हरा प्रार्थी के खातेदारी में तथा बरंग लाल प्रार्थी के खातेदारी से विप्रार्थी के खाते मे दर्ज करने हेतू तहसीलदार चितलवाना से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब कर आवश्यक होने पर मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम के साथ रकबा भी दुरस्त किया जाना न्याय संगत है तथा वर्तमान भौतिक स्वरूप भी इसी अनुसार होने से प्रार्थी व आम जनता के हित में रिपोर्ट अनुसार व नजरीये नक्शा मे वर्णित अनुसार तरमीम में रकबा दुरस्ती हेतू यह आवेदन पेश है।

3. यह है कि उक्त विवादग्रस्त त्रुटिंपूर्ण तरमीम होने की जानकारी प्रार्थी के आवासीय सरचना में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा रास्ता बता कर दखअंदाजी की तो उक्त आराजी का नाप करवाने पर भौतिक रास्ता व सड़क की जगह प्रार्थी की भूमि होने व घर की जगह कटाण होने की जानकारी 05 दिन पूर्व होने पर उक्त तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश है।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1761 व 1560 मध्य ऋतिपूर्ण तरमीम के आधार कायम खसरा संख्या 1760 की तरमीम नजरीये नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग हरा से बंरग लाल की जगह करते हुऐ उक्त खसरा संख्या 1760 की वर्तमान भूमि खसरा संख्या 1761 में समाहित करते हुऐ खसरा संख्या 1761 बरंग लाल की जगह खसरा सख्या 1760 कायम किया जावे इसी अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर आंशिक रूप से रकबा में परिवर्तन हो तो उसे भी दुरस्त किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचोर)

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी तहसीलदार चितलवाना द्वारा जवाब पेश किया गया, जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 1560 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1761 रकबा 0.19 हैक्टेयर प्रार्थी का खातेदारी खेत है तथा खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है जो वक्त प्रथम सैटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज है। इसी अनुरुप प्रथम सैटलमेन्ट व द्वितीय सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है इसमें सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की भूलचूक एंव त्रुटी नही की है। खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के क्षेत्रफल व तरमीम वर्तमान में दुरस्त ही है, पुनः दुरस्ती की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में खसरा संख्या 1760 में किसी भी प्रकार का घर, आवास नही बना हुआ है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 1759 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रेकर्ड अनुसार चल रहा है तथा मौके पर उसी अनुरुप कायम है। इसलिए खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

संख्या 1760 में किसी भी दुरस्ती की गुजाईश नही है तथा न ही इसमें पूर्व में कोई त्रुटि हुई है। वाद ग्रस्त आराजी में त्रुटि पूर्ण तरमीम नही हुई है।

6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चितलवाना से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जो तहसीलदार चितलवाना द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/5426 दिनांक 10.06.2025 से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है तथा वर्तमान खसरा संख्या संख्या 1560 रकबा 1.60 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1761 रकबा 0.19 हैक्टेयर के मध्य राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है तथा खसरा संख्या 1560 व 1761 वर्तमान में नेनाराम पुत्र चुतराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। खसरा संख्या 1760 के सम्बन्ध में माननीय न्यायलय उपखंड अधिकारी चितलवाना में वाद दायर कर नेनाराम पुत्र चुतराराम ने वाद दायर पर स्थगन प्राप्त कर लिया तथा दिनांक 07.04.2025 को रात्रिकालिन में एक पक्के टीनशेड का निर्माण कार्य शुरु कर रातों–रात चद्दर डालकर एक खुले टीनशेड का निर्माण कर लिया जिसका अन्तर्गत धारा 91 माननीय न्यायलय कार्यपालक मजिस्टेट चितलवाना के वाद दायर किया जा चुका है।

इस प्रकार वादी नेनाराम स्वयं द्वारा ही खसरा संख्या 1760 का न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर दिनांक 07.04.2025 को खुले टीनशेड का निर्माण कर रास्ते की दिशा में परिवर्तन किया है। वर्तमान खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1761 की दक्षिणी माठ के सहारे चलकर सिवाड़ा से चितलवाना सड़क के सम्पर्क में आता है। खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता प्रथम भूमि बंदोबस्त से ही गैर मुमकिन रास्ता किस्म इन्द्राज है तथा द्वितीय सेटेलमेन्ट में भी गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज है।

7. प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी की ओर से राजपेरोकार नायब तहसीलदार की बहस सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए बहस में बताया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1761 व 1560 मध्य त्रुतिपूर्ण तरमीम के आधार कायम खसरा संख्या 1760 की तरमीम नजरीये नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग हरा से बंरग लाल की जगह करते हुऐ उक्त खसरा संख्या 1760 की वर्तमान भूमि खसरा संख्या 1761 में समाहित करते हुऐ खसरा संख्या 1761 बरंग लाल की जगह खसरा संख्या 1760 कायम किया जावे इसी अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर आंशिक रूप से रकबा में परिवर्तन हो तो उसे भी न्यायहित में दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

विद्वांन राजपेरोकार द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 1560 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1761 रकबा 0.19 हैक्टेयर प्रार्थी का खातेदारी खेत है तथा खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है जो वक्त प्रथम सैटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज है। इसी अनुरुप प्रथम सैटलमेन्ट व द्वितीय सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है इसमें सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की भूलचूक एंव त्रुटी नही की है। खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के क्षेत्रफल व तरमीम वर्तमान में दुरस्त ही है, पुनः दुरस्ती की आवश्यकता नहीं है। खसरा संख्या 1759 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रेकर्ड अनुसार चल रहा है तथा मौके पर उसी अनुरुप कायम है। इसलिए खसरा संख्या 1760 में किसी भी दुरस्ती की गुजाईश नही है तथा

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

न ही इसमें पूर्व में कोई त्रुटि हुई है। वाद ग्रस्त आराजी में त्रुटि पूर्ण तरमीम नही हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

8. हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार चितलवाना के जवाब व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता व विद्वांन राजपेरोकार के बहस तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि मौजा चितलवाना, पटवार हल्का चितलवाना के खसरा संख्या 1560 रकबा 1.60 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1761 रकबा 0.19 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त दोनों खसरान के मध्य खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है जो खाता संख्या 1 में दर्ज है। खसरा संख्या 1760 रकबा 0.04 हैक्टेयर प्रथम सैटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज है। इसी अनुरुप द्वितीय सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है।

तहसीलदार चितलवाना द्वारा अपने जवाब व मौका रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है जो वक्त प्रथम सैटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज है। इसी अनुरुप प्रथम सैटलमेन्ट व द्वितीय सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है। खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के क्षेत्रफल व तरमीम वर्तमान में दुरस्त ही है। तथा खसरा संख्या 1759 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रेकर्ड अनुसार चल रहा है तथा मौके पर उसी अनुरुप कायम है। वादग्रस्त आराजी में त्रुटि पूर्ण तरमीम नही होना बताया गया है।

इस प्रकार से प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 1560 व 1761 के मध्य खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजकीय भूमि है जो वक्त प्रथम सैटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज है। इसी अनुरुप प्रथम सैटलमेंन्ट व द्वितीय सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित की है। खसरा संख्या 1760 रकबा 0.040 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के क्षेत्रफल व तरमीम वर्तमान में दुरस्त ही है। जिसमें प्रथम व द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा कोई त्रूटि नहीं करने से प्रकरण में दूरूस्ती किया जाना न्यायसगंत नहीं होता है। ऐसी स्थिती प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—: आदेश :—

9. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व स्वीकार योग्य नही होने से खारिज/ अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पक्षकार अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(देशलाराम परिहार)
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना—जालोर

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना—जालोर